

FORM 'A 2'
ACKNOWLEDGEMENT
{See Clause 8(3)}



60
58
236

Letter No- ॐकौॐ /बायोॐ अनुॐ - 08/19 /Agri., Patna, Dated ,2019
Received from M/s Eastern Organic Fertilizer Pvt. Ltd. a complete Memorandum of Intimation along with form 'O' fee of Rs. 2250 by Treasury Challan bearing number 1297 Dated 28-03-2019 deposited in State Bank of India, Bailey Road, Patna.

1. This acknowledgement shall be deemed to be the letter of authorization entitling the applicant to carry on the business as applied (as mentioned in table below) for a period 3 years from date of issue unless suspended or revoked by the competent authority

Sd/-
Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

Dated..... Date.....

MOI ACKNOWLEDGEMENT No- 137

DESCRIPTION OF THE PLACE AND TYPE OF BUSINESS

Name and style by which the business is carried on	Location of sale depot	Location of godowns attached to sale depot	Type of Fertilizer	Source of Supply
1	2	3	4	5
M/s Eastern Organic Fertilizer Pvt. Ltd. Style- Wholesale Dealer	C/o M/s K.B. Interprises, Jai Bhagwan Singh Market Complex, Didarganj Chek Post, Didarganj, Patna City, Patna-8	C/o M/s K.B. Interprises, Jai Bhagwan Singh Market Complex, Didarganj Chek Post, Didarganj, Patna City, Patna-8	1-City Compost	Self Manufactured

Name and address of responsible person under clause 24 of FCO 1985:

Mr. Suresh Lohia
M/s Eastern Organic Fertilizer Pvt. Ltd.
94, Buroshibtala Main Road, Kolkata.

Sd/-
Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

Memo No..... 323 /Agri., Patna, Dated 20/05/ 2019

Copy forwarded to All Joint Directors of Agriculture & District Agriculture Officers for kind information and necessary action.

20/05/19

Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना
उर्वरक कोषांग।

पत्र संख्या-- उ०को०/बायो० अनु०- ०८/२०१९

/कृ०, पटना, दिनांक

2019

कार्यालय आदेश

मे० ईस्टन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रा० लि० के विपणन प्राधिकार पत्र संख्या 137 दिनांक 20/05/2019 वैधता तिथि 19/05/2022 को निर्गत किया जाता है। इस सन्दर्भ में निम्न निदेश दिए जाते हैं :-

1. आपके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश के संगत धाराओं का अनुपालन किया जाएगा।
2. आपके बफर गोदाम के भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी से प्रमाणित एवं सत्यापित होना चाहिए।
3. भंडार पंजी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में दिए गए प्रपत्र N के अनुरूप संधारित किया जाएगा।
4. राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है, का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
5. बिहार राज्य में विपणन करने के पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी से उर्वरक नमूनों की जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे।

यदि उपरोक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

अनुलग्नक : पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 की प्रति।

विश्वासभाजन

ह०/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

दिनांक : 20/05/2019

ज्ञापांक : 024

प्रतिलिपि : सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिष्ठान द्वारा बिक्री किये गये उर्वरक का नमूना लेकर जाँच कराना एवं गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2
15.05.19

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।